पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 112/2018

1 रणजीत सिंह
2 सिकन्दर सिंह
} पुत्र श्री गुरतेज सिंह, जाति जट सिख, निवासी चक 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 गुरतेज सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, जाति जट सिख, निवासी चक 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2 स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
3 प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आर.टी.ए. घोषणा, एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता	वादी
2. श्री अनित जोशी अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 2
4. श्री राजकुमार अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.02.2019

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह के नाम से चक 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/30 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 में कुल 3.582 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य एक घरेलू बंटवारा निष्पादित किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी चक 11 एम.एल. की कृषि भूमि अपने दोनों पुत्रों वादीगण के नाम प्रदान करते हुए उक्त भूमि का कब्जा भी उसी रोज वादीगण को सम्भलवा दिया गया। वादीगण उसी रोज से निर्विवाद रूप से अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं।

उक्त घरेलू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम गांव गोनियाना कलां, जिला बठिण्डा (पंजाब) की समस्त कृषि भूमि अपने पास रखी तथा जो भूमि उसके नाम राजस्थान राज्य में गांव 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/30 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 में कुल 3.582 हैक्टर कषि भूमि स्थित थी, वह उसने अपने दोनों पुत्रों वादीगण को प्रदान कर दी जिस हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जमाबन्दी गांव गोनियाना कलां, जिला बठिण्डा (पंजाब) सम्वत् 2012–2013 (पंजाबी से हिन्दी भाषा में रूपान्तरित) की प्रति संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को घरेलू बंटवारा अनुसार प्रश्नगत् कृषि भूमि उनके नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने हेतु कहा तो वह टाल–मटोल करता रहा और दिनांक 28.05.2018 को बमुकाम चक 11 एम.एल. साफ इन्कार हो गया। यही वाद हेतुक वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करने का प्राप्त है।

लगातार .....

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समयावधि में एवं उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण, बहक वादीगण, विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावे :–

(क) यह कि इस अमर की डिक्री पारित की जावे कि कृषि भूमि स्थित चक 11 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/30 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 में कुल 3.582 हैक्टर कृषि भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदारी दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद तलबी प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर इकबालदावा प्रस्तुत कर राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा मे कथन किया गया कि प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकारान के विरुद्ध उपरोक्त अनवानी वाद पत्र वास्ते घोषणा चक 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/30 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 में कुल 3.582 हैक्टर कृषि भूमि हेतु प्रस्तुत किया था। वाद पत्र में द्वितीय पक्षकार जरिये अधिवक्ता श्रीमान् न्यायालय के समक्ष हाजिर हो चुका है तथा दोनों पक्षकारगण अर्थात् वादीगण एवं प्रतिवादी का आपस में राजीनामा हो गया है। द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रश्नगत् कृषि भूमि निम्नानुसार प्रथम पक्षकार/वादीगण को प्रदान करने हेतु जरिये राजीनामा सहमति प्रदान की जा रही है :–

चक 11–एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/30 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 में कुल 3.582 हैक्टर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर–बराबर, जो कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावे।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को खुले न्यायालय में पढ़ कर सुनाया गया, उभयपक्ष द्वारा राजीनामा को स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये वादीगण की पहचान श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री अनित जोशी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया उक्त अनवानी प्रकरण में राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, अतः राज्य हीत को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 11 एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/30 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 में कुल 3.582 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है जो पैतृक सम्पत्ति है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत चक 11 एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/30 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 में कुल 3.582 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, जाति जट सिख, निवासी चक 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण रणजीत सिंह, सिकन्दर सिंह पुत्रान श्री गुरतेज सिंह, जाति जट सिख, निवासी चक 11 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.02.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)